राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–310/2014

बुलाकीदास देवडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2014
आदेश की दिनांक : 06.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय धिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर ने अपने आदेश क्रमांक–जिशिअ/प्रा.शि/बीका/शै.प्र. –1/2013/90 दिनांक 10.09.2013 के अनुसार अदेय प्रमाण पत्र जारी करते हुए प्रमाणित किया कि बुलाकीदास देवड़ा (कार्यालय अधीक्षक) दिनांक 31.07.2013 को सेवानिवृत हो चुके है। अपीलार्थी दिनांक 31.07. 2013 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो चुका है। लगभग 8 माह व्यतीत हो चुकने के बाद भी पेंशन एवं पेंशन परिलाभ स्वीकृत नहीं किये गये है। अपीलार्थी के पास कोई अन्य आय का साधन नहीं है। अपीलार्थी बार बार शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों से पेंशन एवं पेंशन परिलाभ स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना करता रहा, परन्तु हर बार अपीलार्थी की प्रार्थना को अनसुना कर दिया गया।
2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> अतः सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जावे तथा प्रत्यर्थीगण को निर्देशित कर पाबंद किया जावे कि
> 1. अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 31.07.2013 (प्रदर्श–ए/1) से पेंशन एवं पेंशन लाभ स्वीकृति के आदेश फरमावे तथा एरियर राशि पर 12

प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर ब्याज राशि का भुगतान भी अपीलार्थी को करे।

2. यह है कि अपीलार्थी के अवकाश खाते में जमा 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अपीलार्थी को करे ।
3. यह है कि 01 जुलाई 2013 से ड्यू (DUE) वार्षिक वेतन वृद्धि के स्वीकृति आदेश भी जारी करे। जिसे प्राप्त करने का अपीलार्थी अधिकारी है।
4. यह है कि अन्य अनुतोष जो हक अपीलार्थी को हो तथा जिसे माननीय अधिकरण उचित एवं मुनासिब समझे अता फरमाया जावे।
5. यह है कि अपील का हर्जा खर्चा प्रत्यर्थीगण से दिलवाया जावे।)

3. इस अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जो अपीलार्थी के सम्बन्ध में पेंशन भुगतान एवं ग्रेच्युटी का आदेश है। पेंशन भुगतान आदेश दिनांक 24.04.2014 को जारी किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि पेंशन भुगतान का आदेश देरी से जारी किया गया है। अपीलार्थी को देरी से पेंशन दिये जाने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–89 के अनुसार अपीलार्थी ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि पेंशन का भुगतान देरी से किये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी को उक्त नियम–89 के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाए। राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 का नियम–89(1) निम्न प्रकार से है :–

> "89(1) यदि सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान दे हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब, सरकारी कर्मचारी की ओर से, इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृत्ति फायदों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति फायदे प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा।"

4. अपीलार्थी ने यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी की पेंशन देरी से दिये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं रही है। जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थी विभाग ने भी नहीं किया है। पत्रावली पर आये तथ्यों से सपष्ट है कि सेवानिवृत्ति होने के पश्चात पेंशन देरी से प्रदान की गई है। ऐसे में

अपीलार्थी राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 का नियम–89 के अनुसार ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को सेवानिवृति पर पेंशन के विलम्ब से भुगतान पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज भुगतान किया जावे।
6. अपीलार्थी को यदि 300 दिवस के उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं किया गया है तो वह भी अपीलार्थी को किया जाए।
7. इस आदेश की पालना दो माह में की जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)